अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3/223/- बद्री बनाम प्रहलाद वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2023/232 श्री वी.पी.सिंह राजावत श्री	

बद्री बनाम प्रहलाद वगैरह (2023/232)

18.7.23 माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर का पत्रांक:मुन्तकिली प्रार्थना पत्र /टीए/245/2023 आदेश दिनांक 10.04.2023 द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक में विचाराधीन अपील संख्या 62/2022 शीर्षक ब्रदी बनाम प्रहलाद को राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर को सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जाता है तथा दिनांक 19.04.2023 को दोनो पक्षों को उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। मान्नीय मण्डल के आदेश से आज दिनांक 18.07.2023 को भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 62/2022 बउनवानी ब्रदी बनाम प्रहलाद पृष्ट 74 एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपलू की पत्रावली संख्या 79/2020, निर्णय दिनांक 04.08.2021 पृष्ठ59 भिजवायी गयी है। मान्नीय मण्डल के आदेश से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावें। अभिभाषक उभयपक्ष को पेशी हेतु नोटेड करवायी जावें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25.07.2023 को पेश हों।

(राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर)

19.7.23 अभिभाषक श्री वी.पी.सिंह राजावत के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् अपील विड्रो फरमाये जाने का पेश किया, जिस पर यह पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट का वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक अपीलांट ने बताया अपील में पक्षकारान के बीच आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है तथा अब पक्षकारान के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है इस कारण अपीलांट द्वारा अब अपनी उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है एवं ना ही उक्त में आगे कोई कार्यवाही चाहता है तथा अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को विड्रा दाखिल दफ्तर फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है और अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहता है। रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से न्यायहित में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपीलांट द्वारा अपील को आगे नहीं चलाना से तथा अपील विड्रो किये जाने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर)